

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर  
पीठासीन अधिकारी:— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या:— 15/2019/अपील

रामावतार पुत्र फुलचन्द उर्फ फुलाराम जाति कुमावत निवासी जिलो तहसील नीमकाथाना  
जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 11.09.2018 मु.न. 145/2018 अनुवानी  
सरकार बनाम रामावतार द्वारा न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना

वकील अपीलान्ट श्री भेभाराम गुर्जर

निर्णय

दिनांक:—20.08.2019

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि हल्का पटवारी जीलो ने दिनांक 27.08.2018 को तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलान्ट ग्राम जीलो के खसरा नम्बर 2197 गे0मु0 चारागाह पर 0.03 हैक्टर पर पुरखा मकान व चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। जिस पर तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया। नोटिस के सम्बंध में अपीलान्ट ने विस्तृत जवाब दिया व कार्यवाही को निरस्त करने का निवेदन किया। तहसीलदार ने प्रार्थी का जवाब लेकर प्रकरण में साक्ष्य लेकर मौके पर आकर निस्तारण करने का कह दिया, परन्तु तहसीलदार मौके पर नहीं आकर एवं बिना साक्ष्य लिये ही प्रकरण का उसी दिन निर्णय कर प्रार्थी को बेदखल करने का एवं 3.00 रूपया शारित दण्ड से दण्डित कर दिया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करने से पूर्व न तो पटवारी हल्का की साक्ष्य ली और न ही अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया और प्रार्थी को सुने बिना ही गलत आदेश पारित कर दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(44) में अतिक्रमी की परिभाषा बताई गई है जिसके अनुसार अतिक्रमी वह है जो बिना किसी अधिकार के भूमि पर अवैध रूप से काबिज है। प्रार्थी अपीलान्ट उक्त आवासीय सम्पदा पर अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज चला आ रहा है। ऐसी सुरत में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर गलत निर्णय पारित किया है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 2197 रकबा 3.60 है0 जो पूर्व में सम्पूर्ण भूमि आबादी भूमि के रूप में दर्ज थी परन्तु वरवक्त सेटलमेंट कर्मचारियों की लापरवाही के कारण गे0मु0 चारागाह अंकित हो गई। उक्त सम्पूर्ण भूमि पर गांव की काफी आबादी बसी हुई है जिसमें ग्राम पंचायत जीलो द्वारा पट्टे भी जारी किए हुये है तथा हर मकान में बिजली पानी के कनेक्शन लगे हुये है। राजस्थान पंचायती राज के नियम 1996 के नियम 136 के तहत इस तरह आबादी क्षेत्र के भीतर की समस्त प्रकार की गै0म0 भूमियां पंचायत की सम्पत्ति की परिभाषा में आती है



अधिकार तहसीलदार को नहीं है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पूर्ण अनदेखी कर मनमाना निर्णय पारित किया है जो न्याय संगत नहीं है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांत की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार नीमकाथाना की ओर से जवाब प्राप्त हुआ। जवाब में अंकित किया गया है कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 9(6)राज-6/2000/10 दिनांक 07.09.2017 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह भूमि पर बसी हुई आबादी को अवैध माना है अर्थात् चारागाह भूमि पर बसी आबादी का सैट अपार्ट न करने हेतु निर्देशित किया गया है जबकि अप्रार्थी ने मकान एवं चारदिवारी बनाकर चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अतः विवाराधीन अपील/स्थगन आदेश को खारिज फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांत को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांत निर्धारित तारीख पेशी पर सक्षम न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ एवं उक्त नोटिस के सम्बंध में जवाब प्रस्तुत किया गया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांत द्वारा ग्राम जीलों के खसरा नम्बर 2197 रकबा 3.60 है० किस्म चारागाह में से 0.03 है० पर मकान व चार दिवारी बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। चारागाह भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर प्रार्थी/अपीलांत को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांत द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांत का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः राजकीय भूमि (चारागाह) पर मकान व चार दिवारी बनाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना के द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 11.09.2018 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जय प्रकाश)  
20/8/19  
अति. जिला कलेक्टर, सीकर  
आति० जिला कलेक्टर, सीकर